प्रकरण संख्या 22/2022 श्रीमती अणछीबाई व अन्य बनाम गेहरीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नूरडा, तहसील मावली में आराजी नंबर 1975, 1972, 1974, 1995, 1996, 1997 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके मूल पुरूष गोदा जी होकर उनके तीन पुत्र नवला, छगा व भगा हुए। नवला के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लक्ष्मी, दुर्गा तथा वादी गेहरीलाल दत्तक पुत्र है। छगा प्रतिवादी संख्या 3 है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 भगा के वारिस हैं। वादी छगा का पुत्र है, जो 5–6 वर्ष की आयु में ही नवला के गोद चला गया और वहीं रहने लगा तथा नवला की मृत्यु पर पिण्डदान भी वादी ने किया, किन्तु नवला की विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खुल गया, जबकि वह अपनी ससुराल में रहती हैं तथा विवादग्रस्त सम्पत्ति में उनका जो हिस्सा था वह वादी के पक्ष में उत्यागित कर दिया, जिससे नवला जी की कुलिया चल अचल सम्पत्ति का अकेला वारिस वादी होकर मालिक काबिज है। अतः वाद वर्णित आराजियात का वादी को खातेदारी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाबदावे के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 05.03.1991 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की। तत्पश्चात् दिनांक 04.12.1997 को संशोधित डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12.04.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री दिनेश डांगी उपस्थित हुए। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 14:53:34 IST
Reason: SelfAttested

मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता छगा जी सीधे–साधे व्यक्ति होकर उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, इस कारण उन्हें वाद का कोई ज्ञान नहीं था। छगा जी के देहान्त के बाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मौके पर आये और अपीलान्टगण को बेदखल करने की धमकी दी। तब पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ। दिनांक 25.02.2022 को नकलें प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि छगा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपील करीब 30 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की है, जिसके लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के सम्मन छगा जी को कभी भी प्राप्त नहीं हुए तथा छगा जी मानसिक रूप से अपरिपक्व इन्सान थे, जिससे उनकी सम्यक तामिल कराया जाना संभव नहीं था, इसी कारण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने कोई फर्जी व्यक्ति खड़ा कर छगन नाम से हस्ताक्षर करवा लिये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को धोखे में रखकर डिक्री प्राप्त की गयी है। विवादित आराजिया में अपीलान्टगण का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में छगा के सम्मन विधिवत तामिल कराये गये तथा वे स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण छगा के वारिसान होना स्पष्ट है, हालांकि अधिनस्थ न्यायालय में छगा द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अपीलान्टगण ने उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का कथन किया है तथा जवाबदावे पर उनके फर्जी हस्ताक्षर होने का कथन किया है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजियात मौरूसी कृषि भूमि हैं, जिसमें गोदा जी के तीनों पुत्रों नवला, छगा व भगा प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है। वादी ने अपने आपको गोद पुत्र होने का कथन किया है, किन्तु इस संबंध में कोई गोदनामा उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनका नवला के गोद जाना प्रमाणित होता हो। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाबदावे के आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.12.1997 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर